## माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

213

निग-2841-I-16

**प्रकरण क्रमांक** /2016 निगरानी

श्री चन्द्रशेखर पाठक अभि० द्वारा आज 24-8-16 को प्रस्तुत

24-8-16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24/8/16

1. मूलचंद पुत्र कालूराम प्रजापति,
2. नंदकिशोर पुत्र लीलाधर,
3. सावित्रीबाई पुत्री लीलाधर,

सभी निवासीगण मढिया वार्ड बीना, तहसील बीना जिला सागर मध्यप्रदेश

**...निगरानीकर्तागण/प्रतिअपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. श्रीमती मीराबाई पत्नि किशनलाल, आयु-65 वर्ष,
2. हरीराम पुत्र किशनलाल, आयु- 33 वर्ष,
3. दशोदाबाई पुत्री किशनलाल, आयु-25 वर्ष,
4. उभाबाई उर्फ उषाबाई, पुत्री किशनलाल, आयु- 20 वर्ष,

सभी निवासीगण ग्राम इटावा बाहरी क्षेत्र, तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

**...प्रतिनिगरानीकर्तागण/अपीलार्थीगण**

5. मोहनलाल पुत्र पूरनसिंग,
6. इमरतीबाई पुत्री पूरनसिंग,
7. श्रीबाई, पुत्री पूरनसिंग,
8. काशीराम पुत्र गोरेलाल,
9. लीलाबाई पुत्री गोरेलाल,
10. बुन्द्रे पुत्र गोरेलाल,
11. खुशीलाल पुत्र गोरेलाल,
12. रामचरण पुत्र हल्के प्रजापति,

सभी निवासीगण मढिया वार्ड बीना, तहसील बीना जिला सागर मध्यप्रदेश **.....प्रतिनिगरानीकर्तागण/प्रतिअपीलार्थीगण**

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरुद्ध विद्वान अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर म.प्र. द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 63-अ-27/2012-13(किशनलाल द्वारा वारिसान वि0 मूलचंद व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 जिसके द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ता/अपीलाथीगण क्र.1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्राहय की गई है ।**

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-2841-एक/2016 जिला सागर मूलचंद विरूद्ध मीराबाई

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 08-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br><br>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 63/अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 06-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br><br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br><br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br><br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।<br><br>5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका | |

3

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

8/1/19

(आर.के. जैन)
सदस्य